आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 13/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मदन प्रसाद वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम

मदन प्रसाद वगैरह .....द्वितीय पक्ष

18.09.2018

यह प्रक्रिया आवेदक 1. मदन प्रसाद पिता– स्व0 जगदीश साव, 2. पंकज कुमार गुप्ता पिता– बालकृष्णा प्रसाद, दोनो ग्राम +पो0 +थाना– छत्तरपुर, जिला–पलामू ने 1. मदन प्रसाद, 2. विनय प्रसाद दोनो के पिता– स्व0 वंशी साव, दोनो ग्राम +पो0 +थाना– छत्तरपुर, जिला–पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी, छत्तरपुर से इस कार्यालय के ज्ञापांक– 701 दिनांक– 13.07.2018 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तपुर ने अपने डी0 आर0 नं0– 683/18 दिनांक– 20.07.2018 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा– छत्तरपुर, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	
	–418, रकबा– 0.08 एकड़, चौहद्दी, उतर– मदन प्रसाद वगैरह, दक्षिण– नीज प्रथम पक्ष, पूरब– नीज प्रथम पक्ष, पश्चिम– मदन प्रसाद, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।	
	प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि इस प्रकिया का विषय वस्तु साविक सर्वे खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 418, रकबा– 0.08 ए0 भूमि है जो ग्राम– छत्तरपुर, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू में अवस्थित है। यह भूमि प्लॉट सं0– 418 के प्रथम पक्ष के संपूर्ण रकबा– 0.43 3/4 ए0 का अंश है। प्लॉट सं0– 418 का उतरी भाग 0.03 1/4 ए0 इस प्लॉट के कुल रकबा– 0.51 ए0 का अंश है अक्त प्लॉट एवं खाता की भूमि प्रथम पक्ष सं0–1 की दादी तथा प्रथम पक्ष सं0–2 के माता की भूमि थी। इसी भूमि का उतरी भाग रकबा– 0.3 1/4 ए0 द्वितीय पक्ष के पूर्वज निबंधित दस्तावेज से प्रथम पक्ष के दादी से खरीद किये थे। बाकी 0.43 1/4 ए0 भूमि आज तक प्रथम प्रथम पक्ष सदस्यों के दखल– कब्जे में चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के सदस्यों का घर एवं बारी इसी रकबा– 0.43 3/4 ए0 के अंदर है। उक्त भूमि प्रथम पक्ष सं0– 1 के माता तथा प्रथम पक्ष सं0–2 के दादी जिसका नाम है और उन्ही के नाम से मांग चल रहा है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों का वाद भूमि से कोई संबंध नही है।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि विवादी भूमि प्लॉट सं0– 418, रकबा– 8 डी0 प्रथम पक्ष की माँ के नाम 51 डी0 भूमि बंदोबस्ती का ही अंश भाग रकबा– 8 डी0 भूमि विवाद में है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि 51 डी0 बंदोबस्ती की जमीन में से बिकी के बाद 43 1/4 डी0 जमीन बच रही है और 43 1/4 डी0 भूमि में से 8 डी0 भूमि के लिये प्रकिया कायम कराई गई है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि इसी 43 1/4 डी0 भूमि में उनका मकान बारी अवस्थित है। प्रथम पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि द्वितीय पक्ष के लोग उनकी दादी से जमीन कय किये हैं परन्तु विवादी भूमि उनकी कय की गयी भूमि का भाग नहीं है फिर भी उनका कथन है कि द्वितीय पक्ष विवादी भूमि को हड़पना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन से यह श्रीमान को स्पष्ट होगा कि विवादी भूमि 8 डी0 प्रथम पक्ष की दादी सुरजी साहुन से कय की गयी भूमि 3 1/4 डी0 के पूरब में अवस्थित है और यह पूरब वाली भूमि द्वितीय पक्ष के दखल– कब्जा में केवाला कय किये जाने के पूर्व से प्रथम पक्ष के जानकारी में चला आ राहा है और यह बात प्रथम पक्ष के माँ एवं दादी सुरजी साहुन के द्वारा निष्पादीत केवाला के पूर्वि चौहद्दी से भी स्पष्ट हो जाता है। द्वितीय पक्ष का आगे दवा है कि इनके पिता वंशी साहु 19 डी0 प्लॉट सं0– 419 की भूमि सन् 1977 ई0 में केवाला द्वारा हासिल किया था और	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवा टिप्पण सहित
1	2	
	यह 19 डी0 भूमि विवादी प्लॉट 418 के 3 1/4 भूमि के ठीक दक्षिण में अवस्थित है और प्लॉट सं0— 418 का शेष भूमि जमींदारी के समय से द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में चला आ रहा था। द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि इनकी खरीदगी भूमि 3 1/4 डी0 जिसे केवाला सं0— 1559 दिनांक 14.06.1979 के द्वारा कय किया है के पूरब दिशा में उनकी 8 डी0 भूमि जमींदारी के समय से जमींदार के अनुमती से शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में चला आ रहा था इसलिए केवाला सं0— 1559 सन् 1979 के पूर्वी चौहद्दी में प्रथम पक्ष की माँ सुरजी साहुन पूरब की चौहदी में द्वितीय पक्ष का 8 डी0 भूमि होने की बात स्वीकार की है। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा से यह भी स्पष्ट होगा कि द्वितीय पक्ष की 8 डी0 भूमि घर बारी भूमि है जिसपर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल— कब्जा है और उनके चाहरदिवारी के अंतर्गत यह भूमि विद्यमान है। द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि प्रथम पक्ष के द्वारा वाद भूमि के पश्चिम तरफ के चौहद्दी में द्वितीय पक्ष के मकान दर्शाया जाना चाहिय जो मकान प्लॉट सं0— 418 के खरीदगी भूमि 3 1/4 डी0 एवं प्लॉट सं— 419 की भूमि पर विद्यमान है। द्वितीय पक्ष प्लॉट सं0— 418 एवं0 419 की भूमि का लगान सरकार को देतें हैं तथा इसपर द्वितीय पक्ष का स्वत्व अधिकार एवं दखल— कब्जा निर्बाध रूप से दर्ज है। द्वितीय पक्ष कि ओर से दाखिल निबंधित विकय पत्र सं0— 1559 सन् 1979 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 3 1/4 डी0 भूमि के पूरब में परती भूमि खरीददार को अवस्थित था। द्वितीय	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पक्ष का दावा प्रथम पक्ष की माँ एवं दादी सुरजी साहुन द्वारा निष्पादित केवाला से ही संपुष्ट हो जाता है कि द्वितीय पक्ष की भूमि प्रथम पक्ष के पूर्वज सुरजी साहुन से कय करने के पूर्व से विद्यमान था, इस प्रकार स्पष्ट है कि उतर के चौहद्दी में द्वितीय पक्ष की प्लॉट सं0— 419 के 19 डी0 भूमि एवं पूरब में भी द्वितीय पक्ष के 8 डी0 भूमि विद्यमान है जिसे सुरजी साहुन ने भी पूरब की चौहद्दी में द्वितीय पक्ष की जमीन होने की बात को स्वीकार किया गया हैं। विवादी भूमि द्वितीय पक्ष के प्लॉट सं0— 418 के मकान के पूरब में अवस्थित है जो द्वितीय पक्ष के घर बारी भूमि है और द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में वर्ष 1979 में भी विद्यमान था।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। पुलिस जाँच प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के मकान के पूरब दिशा में द्वितीय पक्ष का दखल— कब्जा होने का दावा किया गया है तथा प्रथम पक्ष के दादी सुरजी साहुन द्वारा निष्पादित निबंधित केवाला सं0—1559 दिनांक 14.06.1979 में दर्शाये गये चौहद्दी उतर दिशा में जमीन खरीदगी खरीददार तथा पूरब दिशा में परती पत्थर खरीददार दर्शाया गया हैं इससे ज्ञात होता है कि द्विती पक्ष का दखल कब्जा वर्ष 1979 के पूर्व से था। अतः प्रकियान्तर्गत निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे कार टिप सहि
1	2	

रिक्त किया जाता है तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18.9.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

18.9.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:28:22 +05:30
Location: 192.168.1.13